रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 21, 2010/आश्विन 29, 1932

No. 588] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 21, 2010/ASVINA 29, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2010

केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 2010

सा.का.नि. 852(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 के नियम 12 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 2010 है ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "निर्णायक तारीख" से वर्ष की जुलाई का प्रथम दिन अभिप्रेत है जिसमें परीक्षा आयोजित की जानी है;

(ख) "परीक्षा" से अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची में जोड़ने के लिए आयोग द्वारा आयोजित कोई सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

(ग) "चयन" से अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित किया जाना अभिप्रेत है ।

(2) अन्य सभी शब्द और पद जो विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उन नियमों में हैं ।

3. **परीक्षा कराना.**—(1) आयोग द्वारा परीक्षा, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रीति में संचालित होगी ।

(2) वह तारीखें जिसको और वह स्थान जहां परीक्षा आयोजित होगी, आयोग द्वारा नियत किए जाएंगे ।

4. **पात्रता की शर्तें.**—केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा के (आशुलिपिक ग्रेड "ग") के निजी सहायक ग्रेड का कोई अधिकारी जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष है, जो निर्णायक तारीख को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे :—

(1) उसने पांच वर्ष से अन्यून की अनुमोदित सेवा की हो और केन्द्रीय सचिवालय सेवा या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा के निजी सहायक ग्रेड में कम से कम चार वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की हो;

(2) वह ऐसी फीसों का संदाय करेगा जो आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु अभ्यर्थी जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में उपदर्शित प्रवर्गों से संबंधित उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उपदर्शित ऐसी फीसों का संदाय करेंगे :

सारणी

(1)	(2)
(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी ।	आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट फीसों का एक चौथाई ।
(ख) फीसों की छूट या रियायत या दोनों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित व्यक्तियों के विभिन्न श्रेणीयों या प्रवर्गों से संबंधित अभ्यर्थी ।	केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए फीसों के ऐसे अनुपात में हो सकेगी ।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट फीस केन्द्रीय सचिवालय सेवा के किसी सहायक या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा के (आशुलिपिक ग्रेड "ग") के निजी सहायक नियुक्ति काडर के बाहर पद पर या कोई अन्य अंतरण सेवा पर है और वह सहायक ग्रेड में धारणाधिकार नहीं रखता है, पर लागू नहीं होगी ।

5. **पात्रता के बारे में विनिश्चय.**—परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी अभ्यर्थी को जिसे आयोग द्वारा प्रमाण-पत्र नहीं जारी किया गया है, परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा ।

6. **परिणाम.**—(1) अभ्यर्थियों के नाम, जिन पर आयोग द्वारा किसी परीक्षा के परिणामों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त होने को विचार किया गया है, उन्हें योग्यता के क्रम में क्रमांकित होंगे और उनकी नियुक्तियों के लिए उक्त क्रम से जितनी संख्या तक नियुक्तियों को किया जाना है, सिफारिश की जाएगी ।

(2) किसी परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयन भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के अध्यधीन रहते हुए, चयन के लिए आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में अपेक्षित विस्तार किया जाएगा ।

(3) व्यष्टिक अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणामों की संसूचना का प्ररूप और रीति का विनिश्चय आयोग अपने विवेक से करेगा ।

7. **चयन.**—(1) परीक्षा में सफलता नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार ऐसी जांच के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझें, समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी सेवा में अपने चरित्र को ध्यान में रखते हुए चयन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है :

परंतु यह विनिश्चय क्या आयोग द्वारा चयन के लिए सिफारिश किए गए कोई विशिष्ट अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं है, आयोग के परामर्श से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा लिया जाएगा ।

8. **कदाचार के लिए शास्ति.**—किसी अभ्यर्थी को जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी घोषित किया गया है या किया गया था—

(i) किन्हीं साधनों द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो; या

(ii) प्रतिरूपण; या

(iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण उपाप्त करना; या

(iv) गढ़े दस्तावेज या वे दस्तावेज जो बिगाड़े गए हों, प्रस्तुत करना; या

(v) वह कथन करना जो गलत और मिथ्या है या तात्विक जानकारी को छिपाना; या

(vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाना; या

(vii) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग करना; या

(viii) परीक्षा कक्ष में कदाचार करना; या

(ix) पूर्वगामी उपविनियमों में विनिर्दिष्ट यथास्थिति सभी या किन्हीं कृत्यों को करने का प्रयत्न करना या, करने का दुष्प्रेरण करना तो वह व्यक्ति दांडिक अभियोजन के लिए स्वयं दायी होने के अतिरिक्त निम्नलिखित के लिए भी दायी होगा—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से निरर्हित होगा जिसके लिए वह अभ्यर्थी है; या

(ख) या तो स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित होना;

(i) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी परीक्षा से या उसके द्वारा किए जाने वाले चयन से; और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी नियोजन से उसके द्वारा,

(ग) समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई करना ।

परंतु इस विनियम के अधीन कोई शास्ति इसके सिवाय अधिरोपित नहीं की जाएगी—

(i) इस निमित्त अभ्यर्थी को लिखित में अभ्यावेदन देने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा, और

(ii) उसे अनुज्ञात अवधि के भीतर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को लिया जाएगा, यदि कोई हो, को विचार में लिया जाएगा ।

[फा. सं. 1-4/2009-सीएस I (पी)]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 2010

The Central Secretariat Service Section Officers' Grade (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 2010

G.S.R. 852(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of rule 12 of the Central Secretariat Service Rules, 2009, the President hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Central Secretariat Service Section Officers' Grade (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 2010.

2. **Definitions.**—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,

(a) "crucial date" means the 1st day of July of the year in which the examination is held;

(b) "examination" means a limited departmental competitive examination held by the Commission for making additions to the Select List for the Section Officers' Grade;

(c) "Selection" means inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade.

(2) All other words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Central Secretariat Service Rules, 2009 shall have the meanings respectively assigned to them in those rules.

3. **Holding of the examination.**— (1) The examination shall be conducted by the Commission in the manner notified by the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions from time to time.

(2) The dates on which and the places at which the examination shall be held shall be fixed by the Commission.

4. **Conditions of eligibility.**—Any officer, of the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service, or of Personal Assistants' Grade (Stenographer Grade 'C') of the Central Secretariat Stenographers Service possessing a Bachelor's Degree of a recognized university or equivalent, who, on the crucial date, satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination:—

(1) He shall have rendered not less than five years approved service and shall also have earned at least four Annual Performance Appraisal Reports in the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service or Personal Assistants' Grade of Central Secretariat Stenographers' Service;

(2) He shall pay such fees as may be specified from time to time, by the Commission:

Provided that candidates belonging to the categories indicated in column (1) of the Table below shall pay such fees as are indicated in the corresponding entry in column (2) of the said Table:

TABLE

(1)	(2)
(a) Candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.	One-fourth of the fees specified by the Commission from time to time.
(b) Candidates belonging to the various classes or categories of persons notified from time to time by Government for exemptions or concessions or both in fees.	Such proportion of the fees subject to such conditions as may be specified in the orders issued by the Central Government from time to time.

(3) The fee prescribed under sub-regulation (2) shall not apply to an Assistant of Central Secretariat Service or Personal Assistant (Stenographer Grade 'C') of Central Secretariat Stenographers' Service who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien in the Assistants' Grade.

5. **Decision as to eligibility.**—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.

6. **Results.**—(1) The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for selection on the results of any examination shall be arranged in the order of merit and they shall be recommended for selection in that order upto the required number.

(2) Selection on the basis of results of any examination shall be made to the extent required, in the order of merit of the candidates recommended by the Commission for selection, subject to reservations for the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Government of India in the Department of Personnel and Training in this behalf from time to time.

(3) The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion.

7. **Selection.**—(1) Success in the examination confers no right to selection unless the Central Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection:

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken by the Department of Personnel and Training in consultation with the Commission.

8. **Disciplinary Action for Misconduct.**—A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

shall, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable —

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and/or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this regulation shall be imposed except after—

(i) giving the candidate a reasonable opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf, and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

[F. No. 1/4/2009-CS. I(P)]

RAJEEV KAPOOR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054